सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आर टी आई एक्ट) को राष्ट्रपति की स्वीकृति 15 जून, 2005 को प्राप्त हुई और इसे भारत के राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 21 जून, 2005 को प्रकाशित किया गया । इसका उद्देश्य प्रत्येक सरकारी प्राधिकारी की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने और जबावदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकारी प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक नागरिकों की पहुँच करने के लिए सूचना के अधिकार के अधीन व्यावहारिक व्यवस्था स्थापित करना है ।

15.1.2 इसके अनुसरण में, इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग में एक पृथक आर टी आई अनुभाग बनाया गया है । इस अनुभाग में अपेक्षित सहायक स्टाफ तथा एक अनुभाग अधिकारी है । यह अनुभाग संयुक्त सचिव (प्रशा.) के पूर्ण नियंत्रणं में कार्य करता है । संयुक्त सचिव (प्रशा.) की सहायता के लिए उप सचिव और अवर सचिव हैं ।

15.1.3 इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नागरिकों से आवेदन-पत्र तथा आवेदन शुल्क प्राप्त करने तथा निर्धारित समय सीमा में उन पर कार्रवाई करने तथा निपटान करने के लिए आवश्यक तंत्र तथा कार्यप्रणाली विभाग में समय पर ही बना दी गई ।

15.1.4 इस अधिनियम की धारा 5 (1) के प्रावधानों के अनुसार, 100 दिनों की निर्धारित समयावधि में विभाग में जन सूचना अधिकारियों/अपील प्राधिकारियों को पदनामित कर दिया गया है। विभाग के मुख्यालय और देश में विभिन्न स्थानों पर स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों के संगठनात्मक ढांचे को ध्यान में रखते हुए और इस अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने में नागरिकों को असुविधा से बचाने के लिए दिल्ली स्थित मुख्यालय में केवल एक जन सूचना अधिकारी (नोडल अधिकारी) की नियुक्ति की गई है । सभी मुख्य इंजीनियरों, निदेशक (सड़क परिवहन), निदेशक (वित्त), निदेशक (परिवहन अनुसंधान) और उप सचिव (प्रशासन) की पक्षों/प्रभागों से संबंधित सूचना प्राप्त करने के आवेदन पत्रों पर कार्रवाई करने और उनका निपटान करने के उद्देश्य से पदनामित अधिकारियों (वास्तविक जन सूचना अधिकारी) के रूप में नियुक्ति की गई है । देश के विभिन्न भागों में संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को उनके अपने अपने क्षेत्रों के लिए उनकी जन सूचना अधिकारियों के रूप में नियुक्ति की गई है ।

15.1.5 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन एच ए आई), एक स्वायत्त निकाय और राष्ट्रीय राजमार्ग इंजीनियर प्रशिक्षण संस्थान (एन आई टी एच ई), एक सोसाइटी है जो विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है, दोनों ने ही अपने-अपने जन सूचना अधिकारियों/अपर जन सूचना अधिकारियों/ अपील प्राधिकारियों की नियुक्ति की है ।

15.1.6 अधिनियम की धारा 4 (1) (ख) के प्रावधानों के अनुसार विभाग संबंधी सूचना को अपनी ओर से प्रकाशित करने के उद्देश्य से इसे विभाग की वेबसाइट पर डालकर आवश्यक

कार्रवाई निर्धारित समयावधि अर्थात् अधिनियम के अधिनियमन से 120 दिनों के अंदर पूरी कर दी गई ।

15.1.7 अधिनियम के अंतर्गत नागरिकों से अनुरोध/आवेदन पत्र और आवेदन शुल्क/शुल्क प्राप्त करने और अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आवेदकों की सहायता/मार्गदर्शन करने के लिए, जनता की सुविधा हेतु परिवहन भवन के भूमि तल पर स्थित सूचना एवं सुविधा काउंटर में एक कर्मचारी की तैनाती की गई है ।